सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण
प्रकटीकरण विवरण

2024-2025
(परिवर्तित)

(राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
की धारा 5, 6 और 7 के अन्तर्गत)

प्राक्कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गए राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006, क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 और सहपठित नियम 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में विधान सभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

दिया कुमारी
उप मुख्यमंत्री, वित्त

10 जुलाई, 2024

I. राज्य अर्थव्यवस्था का विवरण

राज्य अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का विवरण देने वाला वार्षिक विवरण

(i) राज्य अर्थव्यवस्था का अवलोकनः

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 15,28,385 करोड़ रुपये तथा स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 8,45,115 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,57,851 करोड़ रुपये तथा स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 7,82,287 करोड़ रुपये अनुमानित है।

वर्ष 2023–24 में वर्ष 2022–23 की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर 12.56 प्रतिशत तथा स्थिर मूल्यों पर 8.03 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022–23 में इनमें क्रमशः 13.63 प्रतिशत एवं 7.81 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित मूल्यों पर 1,67,964 रूपये अनुमानित की गई है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) की प्रति व्यक्ति आय 1,50,653 रूपये से 11.49 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2011–12 एवं 2023–24 में राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन (प्रचलित मूल्य पर) में क्षेत्रवार योगदान तालिका 1.1 में दर्शाया गया है, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रकट करता है।

तालिका 1.1

राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन (प्रचलित मूल्य पर) में क्षेत्रवार योगदान

(प्रतिशत में)

क्षेत्र / वर्ष	2011-12	2023-24
कृषि	28.56	26.72
उद्योग	32.69	28.21
सेवा	38.75	45.07

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का अंशदान 26.72 प्रतिशत अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21 प्रतिशत अनुमानित है तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07 प्रतिशत अनुमानित है।

(ii) **सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि :**

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 15,28,385 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्यों पर 8,45,115 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में क्रमशः 12.56 प्रतिशत तथा 8.03 प्रतिशत अधिक है।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फसल, पशुधन, मत्स्य एवं वानिकी सम्मिलित हैं। राज्य के कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में 3,81,554.66 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 3,48,010.85 करोड़ रुपये से 9.64 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 2,04,576.39 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,00,312.97 करोड़ रुपये से 2.13 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जलप्रदाय तथा खनन सम्मिलित हैं। वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 4,02,795.44 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 3,50,070.53 करोड़ रुपये से 15.06 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 2,32,895.19 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 2,07,155.84 करोड़ रुपये से 12.43 प्रतिशत अधिक है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे, अन्य परिवहन, भण्डारण, संचार, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, वित्तीय क्षेत्र, स्थावर सम्पदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं। वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 6,43,632.25 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23

(संशोधित अनुमान) के सकल राज्य मूल्य वर्धन 5,78,481.37 करोड़ रुपये से 11.26 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 3,43,056.57 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) के सकल मूल्य वर्धन 3,22,511.17 करोड़ रुपये से 6.37 प्रतिशत अधिक है।

(iii) सरकार के वित्त का अवलोकन :–

(अ) प्राप्तियाँ

1. सरकार की कुल प्राप्तियाँ, राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, लोक ऋण, उधार वसूली तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से मिलकर राज्य की समेकित निधि बनती है।

2. वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 52.43 प्रतिशत से 67.47 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है (तालिका 1.2)।

तालिका 1.2
राज्य की कुल प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपयेमें)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	लोक ऋण	उधार वसूली	अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	समेकित निधि	लोक लेखा (शुद्ध)	कुल प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ	
								(समेकित निधि से प्रतिशत)	(कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2018-19	137873.02	37846.82	15158.41	20.13	190898.38	13459.55	204357.93	72.22	67.47
2019-20	140113.81	46173.72	15669.75	20.42	201977.70	11612.16	213589.86	69.37	65.60
2020-21	134307.88	89964.01	373.52	14.08	224659.49	10352.32	235011.81	59.78	57.15
2021-22	183920.05	101363.31	2373.59	31.42	287688.37	3250.06	290938.43	63.93	63.22
2022-23	194987.93	160565.41	419.61	16.20	355989.15	15942.70	371931.85	54.77	52.43

3. राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–20 के लिये राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 5.495 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 5.647 प्रतिशत अंश निश्चित किया था। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिये राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर का 5.979 प्रतिशत एवं वर्ष 2021–26 के लिये राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर का 6.026 प्रतिशत अंश निर्धारित किया था। राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ		केन्द्रीय हस्तांतरण		कुल राजस्व	प्रतिशत वृद्धि (पूर्व वर्ष से)
	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कर	अनुदान		
2018-19	57380.34	18603.01	41852.35	20037.32	137873.02	8.30
2019-20	59244.98	15714.16	36049.14	29105.53	140113.81	1.63
2020-21	60283.44	13653.02	35575.77	24795.65	134307.88	(-)4.14
2021-22	74807.98	18754.97	54030.61	36326.49	183920.05	36.94
2022-23	87346.38	20564.43	57230.79	29846.33	194987.93	6.02

नोटः विश्वव्यापी कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्तियों में कमी रही थी।

4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गत चार वर्षों के दौरान 11.08 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Annual Average Compound Growth Rate) से वृद्धि हुई है। राज्य के कर राजस्व का विवरण तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4
राज्य के कर राजस्व में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

स्वयं का कर राजस्व	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु एवं सेवा कर	22938.33	21954.17	20754.87	27501.90	33790.48
भू–राजस्व	289.94	364.49	279.32	631.48	484.01
पंजीयन एवं मुद्रांक	3886.03	4234.73	5297.27	6491.91	8189.19
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर एवं अन्य कर (भूमि कर)	0.65	1.32	62.96	222.45	68.00
राज्य आबकारी	8694.10	9591.63	9853.00	11807.34	13325.85
बिक्री कर	14790.96	15842.77	17479.04	20605.40	22727.14
वाहन कर	4576.45	4950.98	4368.17	4758.92	6128.17
माल तथा यात्रा पर कर (प्रवेश कर)	50.79	41.12	45.18	171.17	7.81
विद्युत पर कर तथा शुल्क	2147.95	2262.76	2142.39	2606.19	2625.17
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन एवं विलासिता कर)	5.14	1.01	1.24	11.22	0.56
योग	**57380.34**	**59244.98**	**60283.44**	**74807.98**	**87346.38**

5. बिक्री कर तथा वस्तु एवं सेवा कर का, राज्य के कर राजस्व में 64.71 प्रतिशत योगदान है। वस्तु एवं सेवा कर में 10.17, बिक्री कर में 11.34, राज्य आबकारी में 11.27, पंजीयन एवं मुद्रांक में 20.49 एवं वाहन कर में 7.57 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है।

6. राज्य के गैर कर राजस्व में वर्ष 2022–23 में वर्ष 2021–22 की तुलना में 9.65 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2022–23 में वर्ष 2021–22 की तुलना में खनन से राजस्व की प्राप्ति में 12.79 प्रतिशत की वृद्धि रही है तथा पेट्रोलियम से राजस्व की प्राप्ति में 22.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022–23 में वर्ष

2021–22 की तुलना में वन से राजस्व की प्राप्ति में 44.55 प्रतिशत की वृद्धि, हुई है। (तालिका 1.5)

तालिका 1.5
राज्य के गैर कर राजस्व के घटक

(करोड़ रुपये में)

गैर कर राजस्व	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज प्राप्तियाँ	5790.87	3851.99	2693.15	1628.18	2030.43
जल प्रदाय एवं स्वच्छता	609.36	524.35	547.43	457.40	156.48
वन	147.45	109.47	73.67	119.60	172.88
सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु)	184.61	83.69	251.07	205.75	195.90
पेट्रोलियम	3883.22	3320.11	1904.80	3995.40	4889.17
खनन	5301.48	4579.09	4966.39	6395.15	7212.90
अन्य	2686.02	3245.46	3216.51	5953.49	5906.67
योग	**18603.01**	**15714.16**	**13653.02**	**18754.97**	**20564.43**

(ब) व्यय

1. लोक व्यय का वर्गीकरण, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में किया जाता है। लोक व्यय के माध्यम से सरकार, राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है।

2. विकास व्यय में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं गैर विकास व्यय में सामान्य सेवाओं एवं सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान पर व्यय सम्मिलित है। गत पाँच वर्षों (2018–19 से 2022–23) में विकास व्यय में 7.47 प्रतिशत और गैर विकास व्यय में 10.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि रही है (तालिका 1.6)।

तालिका 1.6
विकास तथा गैर विकास व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	विकास व्यय	वृद्धि (%)	गैर विकास व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय में विकास व्यय का प्रतिशत
2018-19	132572.07	7.07	54952.41	24.96	187524.48	11.76	70.70
2019-20	136808.55	3.20	56649.78	3.09	193458.33	3.16	70.72
2020-21	133528.83	-2.40	60542.08	6.87	194070.91	0.32	68.80
2021-22	168672.90	26.32	65889.96	8.83	234562.86	20.86	71.91
2022-23	174034.97	3.18	72417.38	9.91	246452.35	5.07	70.62

3. राजस्व व्यय के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय, सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2022–23 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज एवं सहायतार्थ अनुदान पर व्यय, राजस्व व्यय का क्रमशः 26.18, 11.21, 13.51 एवं 21.83 प्रतिशत रहा है (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7
राजस्व व्यय की संरचना

(करोड़ रुपये में)

राजस्व व्यय	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन	49137.35	48488.87	51070.13	56601.62	59284.19
पेंशन	20396.26	20761.31	22439.62	23391.35	25381.00
ब्याज	21695.20	23643.27	25201.81	28100.46	30601.88
सहायतार्थ अनुदान	34862.09	41017.01	39714.95	49123.99	49443.38
अन्य	40682.29	42574.64	39882.90	52572.59	61768.84
योग	**166773.19**	**176485.10**	**178309.41**	**209790.01**	**226479.29**

(स) लोक ऋण

1. 31 मार्च, 2024 तक राज्य का लोक ऋण 443767.37 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.04 प्रतिशत है। लोक ऋण की संरचना तालिका 1.8 में दर्शायी गई है:–

तालिका 1.8
लोक ऋण की संरचना

(करोड़ रुपये में)

स्त्रोत / वर्ष	31.3.2022 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2023 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2024 की स्थिति (संशोधित अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
बाजार से उधार	265186.96	75.01	302202.85	77.81	356561.26	80.35
वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य	9901.56	2.80	10530.51	2.71	11421.03	2.57
एन.एस.एस.एफ.	10654.03	3.01	9069.28	2.33	7484.52	1.69
अन्य *(बॉन्ड)*	36064.79	10.20	29159.04	7.51	22253.29	5.01
अर्थोपाय अग्रिम *(भारतीय रिजर्व बैंक से)*	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय विशेष अग्रिम	-	-	-	-	-	-
केन्द्र से ऋण	31748.74	8.98	37422.21	9.64	46047.27	10.38
योग	**353556.08**	**100.00**	**388383.89**	**100.00**	**443767.37**	**100.00**

2. केन्द्र सरकार से ऋण में वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को दिये गये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की राशि क्रमशः 1002.00, 692.41, 5595.64 एवं 7800.00 करोड़ रुपये तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति एवज में बैक टू बैक ऋण की राशि वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए क्रमशः 4604.00 एवं 7268.29 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

2. वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानों में तथा वर्ष 2024–25 के परिवर्तित बजट अनुमानों में कुल बकाया ऋण सकल राज्य देशी उत्पाद का 37.34 तथा 35.97 प्रतिशत अनुमानित है। कुल बकाया ऋण का विवरण प्ररूप प्र–7 में दिया गया है।

(iv) संभाव्यता (Prospects)

1 विशाल क्षेत्रफल, मरूस्थलीय भू–भाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, आबादी का कम घनत्व, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अनियमित व अनिश्चित मानसून पर निर्भरता, अकाल की समस्या, लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति के परिचायक है। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरूस्थल एवं अर्द्ध–मरूस्थलीय है। यह भू–भाग जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र, मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता–बढ़ता है।

2 राज्य का क्षेत्रफल अधिक व आबादी छितरी हुई होने के कारण सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की अदायगी की प्रति इकाई लागत (unit cost of service delivery) अत्यधिक है। जिसके फलस्वरूप शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार सुविधा आदि बुनियादी सेवाओं के अपेक्षित स्तर के लिए राज्य को अपेक्षाकृत कहीं अधिक व्यय करना पड़ता है।

3 वर्ष 2023–24 (अग्रिम अनुमान) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्य तथा स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022–23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में क्रमशः 12.56 प्रतिशत तथा 8.03 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में 9.64 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 15.06 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 11.26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 2.13 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 12.43 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 6.37 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

4. चयन आर्थिक समष्टिभाव संकेतकों एवं राजवित्तीय संकेतकों के रुखों का ब्यौरा सारणी–1 में प्रस्तुत हैः–

सारणी–1

चयन आर्थिक समष्टिभाव और राजवित्तीय संकेतकों के रुख

(करोड़ रुपये में)

I	आर्थिक समष्टिभाव संकेतक	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (संशोधित अनुमान)	2023-24 (अग्रिम अनुमान)
I	बाजार मूल्यों पर सकल राज्य देशी उत्पाद			
क	चालू कीमत पर	1194961	1357851	1528385
ख	2011-12 की कीमत पर	725586	782287	845115

सकल मूल्य संवर्धन में योगदान

II	**कृषि क्षेत्र का योगदान**			
क	चालू कीमत पर	322738.55 (28.56)	348010.85 (27.26)	381554.66 (26.72)
ख	2011-12 की कीमत पर	191571.36 (28.17)	200312.97 (27.44)	204576.39 (26.21)
III	**औद्योगिक क्षेत्र का योगदान**			
क	चालू कीमत पर	315047.11 (27.88)	350070.53 (27.42)	402795.44 (28.21)
ख	2011-12 की कीमत पर	194852.73 (28.65)	207155.84 (28.38)	232895.19 (29.84)
IV	**सेवा क्षेत्र का योगदान**			
क	चालू कीमत पर	492253.69 (43.56)	578481.37 (45.32)	643632.25 (45.07)
ख	2011-12 की कीमत पर	293596.67 (43.18)	322511.17 (44.18)	343056.57 (43.95)

नोट :–कोष्ठक के आंकडे सकल मूल्य वर्धन में योगदान को दर्शाते हैं।

राजवित्तीय संकेतकों के रुख

(करोड़ रुपये में)

II	**सरकार का वित्त**	**2022-23** वास्तविक लेखे	**2023-24** के लिए बजट प्राक्कलन	**2023-24** के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन	**2024-25** के लिए परिवर्तित बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि / कमी(–)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
1	**राजस्व प्राप्तियां *(2+3)***	**194987.93**	**233988.01**	**237671.91**	**264461.29**	**21.89**	**11.27**
2	**कर राजस्व *(2.1+2.2)***	**144577.17**	**175721.57**	**177157.23**	**205111.93**	**22.53**	**15.78**
2.1	स्वयं का कर राजस्व	87346.38	114169.10	110600.52	125524.82	**26.62**	**13.49**
2.2	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	57230.79	61552.47	66556.71	79587.11	**16.30**	**19.58**
3	**गैर कर राजस्व *(3.1+3.2)***	**50410.76**	**58266.44**	**60514.68**	**59349.36**	**20.04**	**-1.93**
3.1	राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व	20564.43	24284.70	20647.70	22665.40	**0.40**	**9.77**
3.2	केन्द्रीय अनुदान	29846.33	33981.74	39866.98	36683.96	**33.57**	**-7.98**
4	**पूँजीगत प्राप्तियां*(4.1+4.2+4.3)***	**176943.92**	**156954.97**	**239318.15**	**231148.05**	**35.25**	**-3.41**
4.1	उधारों और अग्रिमों की वसूली	419.61	310.74	315.20	305.53	**-24.88**	**-3.07**
4.2	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	16.20	20.00	20.00	20.00	**23.46**	**0.00**
4.3	उधार और अन्य दायित्व	176508.11	156624.23	238982.95	230822.52	**35.39**	**-3.41**
5	**कुल प्राप्तियां *(1+4)***	**371931.85**	**390942.98**	**476990.06**	**495609.34**	**28.25**	**3.90**
6	**राजस्व व्यय**	**226479.29**	**258883.68**	**267743.84**	**290219.40**	**18.22**	**8.39**
	जिसमे है :–						
	(क) ब्याज संदाय	30601.88	32393.67	34561.05	37537.83	**12.94**	**8.61**
	(ख) सहायतार्थ अनुदान एवं सहाय्य	75609.50	86572.94	92475.16	100162.24	**22.31**	**8.31**

II	सरकार का वित्त	2022-23 वास्तविक लेखे	2023-24 के लिए बजट प्राक्कलन	2023-24 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन	2024-25 के लिए परिवर्तित बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि / कमी(–)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
	(ग) मजदूरी और वेतन	59774.20	71497.88	70573.04	78340.85	**18.07**	**11.01**
	(घ) पेंशन संदाय	25381.00	26071.60	27254.56	29016.56	**7.38**	**6.46**
7	**पूँजीगत व्यय**	**19798.28**	**38061.47**	**34843.51**	**44216.48**	**75.99**	**26.90**
8	**उधार और अग्रिम**	**174.78**	**145.52**	**501.44**	**360.42**	**186.90**	**-28.12**
9	**कुल व्यय *(6+7+8)*** *	**246452.35**	**297090.67**	**303088.79**	**334796.30**	**22.98**	**10.46**
10	**राजस्व घाटा / आधिक्य *(1-6)***	**-31491.36**	**-24895.67**	**-30071.93**	**-25758.11**	**-4.51**	**-14.35**
11	**राजवित्तीय घाटा *(9-1+4.1+4.2))***	**51028.61**	**62771.92**	**65081.68**	**70009.48**	**27.54**	**7.57**
12	**प्राथमिक घाटा *(11–6(क))***	**20426.73**	**30378.25**	**30520.63**	**32471.65**	**49.42**	**6.39**

*कुल व्यय में लोक ऋण का पुनर्भुगतान सम्मिलित नहीं है।

सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और वेतन का ब्यौरा देने वाला विवरण :

सारणी– 2

सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं इत्यादि में नियोजन और वेतन व्यय

क्र. सं.		कर्मचारियों की संख्या *(हजारों में)*		वेतन व्यय *(करोड़ रुपये में)*	
		2022-23	**2023-24** (अनन्तिम)	**2022-23**	**2023-24** (अनन्तिम)
1.	सरकारी विभाग	*1014*@*	*1087*@*	59378#	70216#
2.	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	*78***	*77***	*7600***	*9079***
3.	सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं	16	13	1704	1810
4.	पंचायतीराज संस्थाएं	64	90	4509	5505
5.	शहरी स्थानीय निकाय	49	49	3751	3444

* *स्वीकृत पदों के अनुसार।*

@ *73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अधिकारी / कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।*

** *ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।*

\# *कतिपय वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन सीधे निर्माण कार्यो पर प्रभारित होता है, अतः उक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।*

II. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्ररूप रा–2 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार हैः–

(क) राजवित्तीय नीति सर्वेक्षण –

(i) राज्य की राजवित्तीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना तथा समाज के कमजोर तबके को उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करना है, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इसके फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकेगा। समाज के वंचित वर्ग के लिये समुचित आजीविका, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती का सामना करने के लिए समावेशी विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक क्षेत्रों यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं राजस्व व्यय का प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

(ii) राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2023–24 में 21.89 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2022–23 में 16.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में 26.62 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

(iii) राज्य के राजस्व व्यय में वर्ष 2022–23 में 7.96 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसमें 18.22 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(iv) वर्ष 2023–24 में संशोधित अनुमानों में 30071.93 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है एवं राजवित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.26 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

(v) वर्ष 2024–25 के परिवर्तित बजट अनुमानों में राजवित्तीय घाटे को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.93 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024–25 के परिवर्तित बजट अनुमानों में 25758.11 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा सम्भावित है।

(vi) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 6 के परन्तुक में प्रावधान है कि राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा निम्न परिस्थितियों में धारा–6 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगाः–

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण, या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण, या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर उपदर्शित सीमाओं तक, या

(घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015–एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण, या

(ड़) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के मद्धे अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अनुज्ञात किये जाने के कारण, या

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021–22 से 2024–25 तक की कालावधि के लिए सकल राज्य देशी उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने को अनुज्ञात किये जाने के कारण।

(ख) आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति–

(i) राजस्व नीति :

राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। सरकार का प्रयत्न रहेगा कि विकास की गति को कम किये बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की जाए। कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाने, कर आधार का विस्तार करने, कर वसूली एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कई वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जी.एस.टी.) लागू होने के पश्चात कर संग्रहण एवं प्रवर्तन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में नवीन आबकारी नीति को अधिक प्रभावी बनाया गया है। आगामी वर्षों में कर संग्रहण में वृद्धि की अपेक्षा है।

(ii) व्यय नीति :

(क) राज्य की अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया लोक निवेश, राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं में परिलक्षित होती है। मध्यमकाल में राज्य की राजवित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि हो सके एवं अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।

(ख) गत कुछ वर्षों में राजस्व व्यय में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। वर्ष 2023–24 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व व्यय में 18.22 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व व्यय को नियंत्रित रखा जाना चुनौतीपूर्ण होगा। राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्चों का युक्तिपूर्ण तरीके से पुनर्मूल्यांकन किया जाकर अनुपयोगी व्ययों को समाप्त किया जायेगा।

(iii) **उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधानः**

कुल ऋण दायित्व में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में जीएसटी क्षतिपूर्ति की एवज में राज्य को बैक टू बैक ऋण क्रमशः 4604 करोड़ रूपये एवं 7268.29 करोड़ रुपये सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य को पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से जारी किये गये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण भी सम्मिलित है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि प्राप्तियों और व्यय के मध्य दैनिक आधार पर इस प्रकार से संतुलन बनाया जाये, जिससे कि ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़े।

(iv) **समाश्रित और अन्य दायित्व :**

राजकीय प्रत्याभूतियाँ जारी किये जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में वर्ष 2016 में राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में निम्न प्रावधान किया गया हैः

''31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।''

विशेष प्रयोजन उपकरण और अन्य समतुल्य उपकरणों, जिसमें प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार का हो सकता है, से संबंधित व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। राज्य में गारण्टी मोचन निधि की व्यवस्था वर्ष 1999–2000 से लागू की हुई है। गारण्टी कमीशन से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जाता है। बकाया प्रत्याभूतियों की सूचना एवं गारंटी मोचन निधि में जमा की जा रही राशि को प्रकटीकरण विवरण पत्र प्र. 2 एवं 4 में दर्शाया गया है।

(v) **मार्गोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance) एवं विशेष आहरण सुविधा (Special Drawing Facility) :**

दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन (time bound discharge), Fund Flow/Liquidity के कुशल प्रबंधन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में मार्गोपाय अग्रिम (WMA) एवं विशेष आहरण सुविधा (SDF) के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन

के फलस्वरूप राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपये की बचत होना संभावित है।

(vi) **राज्य के समावेशी एवं संतुलित विकास हेतु Alternate Funding Mechanism:**

राज्य के राजकीय उपक्रमों के प्रभावी संसाधन संग्रहण (Efficient Resource Mobilization) हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसरण में वित्तीय स्त्रोतों के उपयोग से वैकल्पिक/नवोन्वेषी वित्तपोषण (alternate/innovative financing) की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप कार्यकारी कुशलता में सुधार हुआ तथा financial turnaround भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के स्वयं के राजस्व को leverage कर की जा रही है। इसी प्रकार जल प्रबंधन हेतु जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम (RWSSC) व ERCP Corporation के माध्यम से विभिन्न जलदाय योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का कार्य भी चरणबद्ध रूप से इन Special Purpose Vehicles को हस्तान्तरित किया जायेगा।

साथ ही राज्य सरकार द्वारा किये गये राजकोषीय सुधार की उपादेयता एवं सफलता को दृष्टिगत रखते हुये आने वाले समय में भी futuristic approach के साथ effective and efficient public service delivery हेतु अन्य राजकीय उपक्रमों यथा– RSRTC, JCTSL एवं RTDC को भी Alternate Funding Mechanism के द्वारा funds उपलब्ध कराकर इनकी संचालन कार्यक्षमता में सुधार कर इन्हें आत्मनिर्भर बनायेंगे।

(vii) **उपयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण:**

गैर कर राजस्व में वृद्धि, सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में उपयोक्ता प्रभारों पर निर्भर करती है। उपयोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। विद्युत दरों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग पर है। राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी।

(ग) आगामी वर्ष के लिए युक्तिक पूर्विकतायें (Strategic Priorities)–

(i) राजवित्तीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय एवं राजस्व के संग्रहण तथा व्यय से संबंधित होती है। राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी कि कर–आधार बढ़ाया जाये तथा कर संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी किया जाए।

(ii) गैर कर राजस्व में बेहतर वसूली के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा।

(iii) पूंजीगत व्यय में वृद्धि किया जाना राज्य की प्राथमिकता रहेगी।

(iv) राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी।

(v) राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्चों का युक्तिपूर्ण तरीके से पुनर्मूल्यांकन किया जाकर अनुपयोगी व्ययों को समाप्त किया जायेगा।

(vi) ऋण के स्तर को लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जायेगा।

(घ) नीति परिवर्तनों के लिए मूल आधार–

वर्ष 2017–18 से बजट में आयोजना भिन्न व्यय एवं आयोजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया है तथा व्यय के लिए प्रावधान राज्य निधि व केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जा रहा है।

(ड.) नीति मूल्यांकन–

वर्तमान राजवित्तीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरुपित मानदण्ड़ों के अन्तर्गत है। अधिनियम द्वारा वांछित राजवित्तीय जानकारियाँ यथासंभव उपलब्ध कराई गई हैं। राजवित्तीय नीति की आवश्यक मान्यताएं (Assumptions) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय तो हैं, परन्तु आंकड़ों के पूर्वानुमान की अपनी सीमाएं होती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं।

III. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 3 के अन्तर्गत मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण प्ररूप रा–1 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार हैः–

क. राजवित्तीय संकेतक–चल लक्ष्यः

संकेतक		2023-24 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	2023-24 पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.प्रा.)	2024-25 परिवर्तित बजट प्राक्कलन (प.ब.प्रा.)	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
					2025-26	2026-27
1.	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)	-10.64	-12.65	-9.74	-6.04	-3.06
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा	3.98	4.26	3.93	3.40	2.97
3.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व	36.78	37.34	35.97	35.66	34.95

ख. राजवित्तीय संकेतकों में अन्तर्निहित धारणाएं

क्रम सं.	संकेतक	वृद्धि दर 2022-23 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2023-24 (पु.प्रा.)	वृद्धि दर 2024-25 (प.ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर	
					2025-26	2026-27
I	**राजस्व प्राप्तियाँ**					
1	**केन्द्रीय करों में हिस्सा**	**5.92**	**16.30**	19.58	12.00	13.00
2	**राज्य का स्वयं का कर राजस्व**	**16.76**	**26.62**	**13.49**	**13.11**	**13.12**
	क. वस्तु एवं सेवा कर	22.87	42.05	16.25	14.00	14.00
	ख. विक्रयों, व्यापार इत्यादि पर कर	10.30	14.40	11.54	13.00	13.00
	ग. राज्य आबकारी	12.86	16.32	10.32	12.00	12.00
	घ. स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण फीस	26.14	22.11	10.00	12.00	12.00
	ड. मोटरयान कर	28.77	15.86	14.08	14.00	14.00
	च. माल और यात्रियों पर कर	-95.44	-61.59	0.00	0.00	0.00
	छ. विद्युत पर कर और शुल्क	0.73	21.90	9.38	8.00	8.00
	ज. भू–राजस्व	-23.35	2.69	45.09	10.00	10.00
	झ. मनोरंजन और विलासिता कर	-95.00	-13.79	40.00	0.00	0.00
	ञ. अन्य कर *(भूमि कर आदि)*	-69.43	341.32	0.00	5.00	5.00
3	**राज्य का स्वयं का गैर–कर राजस्व**	**9.65**	**0.40**	**9.77**	**11.18**	**11.19**
	क. जल प्रदाय और स्वच्छता	-65.79	-56.54	-32.35	5.00	5.00
	ख. खनन	12.79	17.84	11.76	12.00	12.00
	ग. पेट्रोलियम	22.37	-28.41	14.29	12.00	12.00
	घ. ब्याज प्राप्तियाँ	24.71	9.95	13.94	10.00	10.00
	ड. अन्य	-0.05	1.14	3.60	10.00	10.00
4	**केन्द्रीय सहायता–अनुदान**	**-17.84**	**33.57**	**-7.98**	**10.00**	**10.00**

क्रम सं.	संकेतक	वृद्धि दर 2022-23 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2023-24 (पु.प्रा.)	वृद्धि दर 2024-25 (प.ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर	
					2025-26	2026-27
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 से 4)	**6.02**	**21.89**	**11.27**	**12.18**	**12.50**
II	**राजस्व व्यय**	**7.96**	**18.22**	**8.39**	**8.40**	**9.33**
	(i) ब्याज संदाय (ऋण सेवा)	8.90	12.94	8.61	9.00	9.00
	(ii)पेंशन	8.51	7.38	6.46	8.00	10.00
	(iii) आपदा राहत	-9.98	43.37	7.26	5.00	5.00
	(iv) सामान्य शिक्षा	9.98	27.28	10.97	10.00	10.00
	(v) चिकित्सा और स्वास्थ्य	-2.70	54.68	19.91	11.00	11.00
	(vi)जल प्रदाय एवं स्वच्छता	5.48	8.69	11.31	5.00	5.00
	(vii) ऊर्जा	8.26	20.41	-4.96	5.00	5.00
	(viii) सिंचाई	5.04	10.20	13.63	10.00	10.00
	(ix) अन्य	8.43	13.81	9.35	8.00	10.00
III	**पूंजीगत व्यय**	**-18.02**	**75.99**	**26.90**	**12.00**	**12.00**
IV	**उधार और अग्रिम (शुद्ध)**	**-86.03**	**-176.07**	-70.53	-8.91	50.00
V	**सकल राज्य देशी उत्पाद**	**13.63**	**12.56**	**16.53**	**11.50**	**11.50**

ग. सहनीयता का निर्धारण (Assessment of Sustainability)

(i) अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो। कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप दिसम्बर, 2023 तक GSDP की वृद्धि दर जो 11.58 प्रतिशत थी, वह मार्च, 2024 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गई। लेखानुदान के समय वर्ष 2024–25 के लिए GSDP में वृद्धि दर 11.67 प्रतिशत अनुमानित की गई थी जो बढ़कर 16.53 प्रतिशत होना अपेक्षित है। वर्ष 2025–26 व 2026–27 में 11.50 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(ii) वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में कुल राजस्व प्राप्तियाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.55 प्रतिशत रहना अनुमानित है और वर्ष 2026–27 तक इसके 15.07 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

(iii) राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.24 प्रतिशत है और वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में यह क्रमशः 7.15 प्रतिशत एवं 7.25 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

(iv) वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 4.35 प्रतिशत है तथा वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में यह क्रमशः 4.49 एवं 4.55 प्रतिशत अनुमानित है।

(v) वर्ष 2022–23 में ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 15.69 प्रतिशत था जो वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमानों में 14.54 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(vi) वर्ष 2022–23 में वस्तु एवं सेवा कर में 22.87 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2023–24 में 42.05 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है। आगामी वर्ष 2024–25 में 16.25 प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है।

(vii) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो। इसके लिए कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए उपयोक्ता प्रभारों की समय–समय पर समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके। वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान दायित्वों को सीमित रखना राजवित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है।

(viii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से प्राप्त किये गए ऋण भी शामिल हैं।

(ix) आगामी दस वर्षों हेतु जीवनांकिक आधार पर संगणित पेंशन का दायित्व प्ररूप प्र–8 में दिया गया है।

IV. प्रकटीकरण विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रकटीकरण विवरण प्ररूप प्र–1 से प्र–8 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार हैः–

चयनित राजवित्तीय संकेतक
प्ररूप प्र –1

क्र. सं.	मद	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजवित्तीय घाटा	3.76	4.26
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(–)/आधिक्य(+)	-16.15	-12.65
3.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व	37.23	37.34
4.	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	47.65	49.02
5.	सकल राजवित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय	38.80	53.54
6.	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	15.69	14.54
7.	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	13.51	12.91

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की 31.03.2024 को बकाया की स्थिति

प्ररूप प्र –2

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (01.04.2023 को)	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ आहरण (31.03.2024 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.03.2024 तक)	वर्ष 2023–24 के दौरान अवलंब लिया गया		31.03.2024 तक यथा विधमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सांविधिक निगम और बोर्ड										
1	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	624.47	-	-	-	-	**624.47**	0.62	0.62	
2	राजस्थान राज्य जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम	550280.94	150000.00	95.30	-	-	**700185.64**	2.81	2.81	
3	राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	171799.39	-	25014.38	-	-	**146785.01**	-	-	
	योग	**722704.80**	**150000.00**	**25109.68**	**-**	**-**	**847595.12**	**3.43**	**3.43**	
सरकारी कम्पनियाँ										
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	64874.86	3000.00	30854.24	-	-	**37020.62**	572.85	572.85	
	योग	**64874.86**	**3000.00**	**30854.24**	**-**	**-**	**37020.62**	**572.85**	**572.85**	
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	406301.82	96000.00	335395.99	-	-	**166905.83**	2611.09	2611.09	
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2294324.20	807855.67	506339.48	-	-	**2595840.39**	23758.38	23758.38	
3	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2193221.05	741816.67	575129.85	-	-	**2359907.87**	21989.94	21989.94	
4	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	1705964.74	557699.38	462113.47	-	-	**1801550.65**	16517.16	16517.16	
5	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1852645.32	195741.75	431723.97	-	-	**1616663.10**	22295.60	22295.60	
	योग	**8452457.13**	**2399113.47**	**2310702.76**	**-**	**-**	**8540867.84**	**87172.17**	**87172.17**	
सहकारी समितियाँ										
1	दी राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
2	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड	53522.00	322751.47	184522.85	-	-	**191750.62**	302.83	302.83	
3	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	89271.07	30586.50	31955.55	-	-	**87902.02**	86.51	86.51	
4	राज. अजा. जजा. वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	24756.64	1200.00	5410.62	-	-	**20546.02**	235.90	235.90	
5	राज. अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	5392.11	100.00	565.64	-	-	**4926.47**	53.07	53.07	
6	राज. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	1367.56	-	321.63	-	-	**1045.93**	12.87	12.87	
	योग	**174309.38**	**354637.97**	**222776.29**	**-**	-	**306171.06**	**691.18**	**691.18**	
राज्य वित्तीय निगम										

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (01.04.2023 को)	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ आहरण (31.03.2024 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.03.2024 तक)	वर्ष 2023–24 के दौरान अवलंब लिया गया		31.03.2024 तक यथा विधमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	राज. स्टेट पावर फाईनेंस एण्ड फाईनेंसियल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.	75000.00	35000.00	2000.00	-	-	108000.00	900.00	900.00	
	योग	**75000.00**	**35000.00**	**2000.00**	**-**	**-**	**108000.00**	**900.00**	**900.00**	
नगरीय विकास एवं आवासन										
1	राज. शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लि. (पूर्व राविल)	466.98	-	466.98	-	-	-	1.37	1.37	
2	राज. शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लि. (पूर्व रूफडिको)	377370.37	93655.00	10069.56	-	-	**460955.81**	-	-	
3	जयपुर विकास प्राधिकरण	106990.62	2674.00	14190.03	-	-	**95474.59**	1007.71	1007.71	
4	जयपुर नगर निगम (ग्रेटर)	7216.00	-	568.00	-	-	**6648.00**	70.03	70.03	
5	जयपुर नगर निगम (हैरिटेज)	4284.00	2500.00	716.00	-	-	**6068.00**	52.66	52.66	
6	नगर निगम भरतपुर	5000.00	2000.00	750.00	-	-	**6250.00**	49.06	49.06	
7	नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)	1500.00	-	-	-	-	1500.00	15.00	15.00	
8	नगर पालिका, नाथद्वारा	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	**502827.97**	**100829.00**	**26760.57**	**-**	**-**	**576896.40**	**1195.83**	**1195.83**	
नगर पालिकाएं/स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाऐं										
1	जिला परिषद, चित्तौडगढ़	4021.86	-	733.92	-	-	**3287.94**	-	-	
2	जिला परिषद, बांसवाड़ा	15852.23	-	2795.09	-	-	**13057.14**	-	-	
3	जिला परिषद, नागौर	416.93	-	105.16	-	-	**311.77**	-	-	
4	जिला परिषद, हनुमानगढ़	1796.73	-	358.91	-	-	**1437.82**	-	-	
5	जिला परिषद, करौली	3293.15	-	590.34	-	-	**2702.81**	-	-	
6	जिला परिषद, कोटा	2115.66	-	407.92	-	-	**1707.74**	-	-	
7	जिला परिषद, बाडमेर	5157.31	-	1045.60	-	-	**4111.71**	-	-	
8	जिला परिषद, अजमेर	1100.78	-	216.52	-	-	**884.26**	-	-	
9	जिला परिषद, बून्दी	1803.53	-	321.92	-	-	**1481.61**	-	-	
10	जिला परिषद, बांरा	3473.19	-	628.12	-	-	**2845.07**	-	-	
11	जिला परिषद, टोंक	2767.88	-	499.44	-	-	**2268.44**	-	-	
12	जिला परिषद, बीकानेर	3988.49	-	749.83	-	-	**3238.66**	-	-	

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (01.04.2023 को)	वर्ष के दौरान परिवर्धन / आहरण (31.03.2024 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.03.2024 तक)	वर्ष 2023–24 के दौरान अवलंब लिया गया		31.03.2024 तक यथा विधमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
13	जिला परिषद, भीलवाड़ा	6128.98	-	1098.80	-	-	**5030.18**	-	-	
14	जिला परिषद, पाली	3363.73	-	646.28	-	-	**2717.45**	-	-	
15	जिला परिषद, अलवर	1017.60	-	232.12	-	-	**785.48**	-	-	
16	जिला परिषद, चूरू	372.66	-	88.24	-	-	**284.42**	-	-	
17	जिला परिषद, दौसा	734.83	-	153.36	-	-	**581.47**	-	-	
18	जिला परिषद, जोधपुर	4416.72	-	787.32	-	-	**3629.40**	-	-	
19	जिला परिषद, जालौर	5299.42	-	1015.56	-	-	**4283.86**	-	-	
20	जिला परिषद, श्रीगंगानगर	2324.04	-	511.92	-	-	**1812.12**	-	-	
21	जिला परिषद, धौलपुर	288.86	-	68.04	-	-	**220.82**	-	-	
22	जिला परिषद, भरतपुर	1031.72	-	233.28	-	-	**798.44**	-	-	
23	जिला परिषद, डूंगरपुर	15770.94	-	2763.19	-	-	**13007.75**	-	-	
24	जिला परिषद, सवाई माधोपुर	3125.79	-	561.72	-	-	**2564.07**	-	-	
25	जिला परिषद, सिरोही	2108.29	-	411.00	-	-	**1697.29**	-	-	
26	जिला परिषद, राजसमन्द	3310.96	-	600.87	-	-	**2710.09**	-	-	
27	जिला परिषद, प्रतापगढ़	6532.37	-	1135.30	-	-	**5397.07**	-	-	
28	जिला परिषद, जैसलमेर	1049.61	-	257.92	-	-	**791.69**	-	-	
29	जिला परिषद, झालावाड़	2815.00	-	549.37	-	-	**2265.63**	-	-	
30	जिला परिषद, उदयपुर	21500.92	-	3882.48	-	-	**17618.44**	-	-	
31	जिला परिषद, जयपुर	677.85	-	135.12	-	-	**542.73**	-	-	
	योग	**127658.03**	-	**23584.66**	**-**	**-**	**104073.37**	-	-	
सड़क और परिवहन			-							
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		298611.63	184000.00	28688.87	-	-	453922.76	3585.89	3585.89	
	योग	**298611.63**	**184000.00**	**28688.87**	**-**	**-**	**453922.76**	**3585.89**	**3585.89**	
राजस्थान मेडिकल ऐजुकेशन सोसायटी (राजमेस)		44800.00	22500.00	-	-	-	67300.00	112.00	112.00	
राजकॉम्प इन्फो सर्विस लि0 (RISL)		20000.00	-	-	-	-	20000.00	-	-	
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL)		-	30000.00	-	-	-	30000.00	75.00	75.00	
	योग	**64800.00**	**52500.00**	**-**	**-**	**-**	**117300.00**	**187.00**	**187.00**	
	महायोग	**10483243.80**	**3279080.44**	**2670477.07**	-	-	**11091847.17**	**94308.35**	**94308.35**	

प्रत्याभूतियाँ मोचन निधि
प्ररूप प्र–4

(करोड़ रुपये में)

गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियाँ (31.03.2023)	गत वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम	प्रत्याभूतियों की रकम जिसका वर्ष के दौरान अवलंब लिया जाना संभावित है	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में परिवर्धन	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में से आहरण	चालू वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
104832.44	7628.97	-	1339.65*	-	8968.62

**निधि से विनियोजित राशि पर अर्जित ब्याज सहित*

31.03.2024 को यथा विद्यमान बकाया कर की मांगों का ब्यौरा
(यथा मांग की गयी किन्तु वसूल नहीं की गयी)
प्ररूप प्र–5

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	योग
0029	भू–राजस्व	34.25	61.30	31.68	51.26	**178.49**
0030	पंजीयन एवं मुद्रांक	759.43	1050.13	119.66	39.54	**1968.76**
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	420.88	616.06	-	215.35	**1252.29**
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	1181.56	116.28	12.24	171.10	**1481.18**
0040	बिक्री कर	737.32	2765.82	2574.69	919.18	**6997.01**
0041	वाहन कर	5.33	4.50	6.65	14.23	**30.71**
0042	माल व यात्री कर	16.69	27.97	35.26	58.70	**138.62**
0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	-	-	-	-	**-**
0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.00	14.52	13.29	11.03	**38.84**

टिप्पणी :–बकाया कर की मांगों में विवादित/न्यायिक प्रकरणों के कारण बकाया चल रही मांगें शामिल हैं।

विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भाव्यतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्ररूप प्र–6

क्र. सं.	लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले राजवित्तीय संकेतक	राजवित्तीय संकेतक पर सम्भाव्य प्रभाव	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हों)
चालू वित्तीय वर्ष में लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।				

प्ररूप प्र–7

क. राज्य सरकार के उधार/अन्य दायित्वों के संघटक

(करोड़ रुपयेमें)

प्रवर्ग	बकाया रकम *(वित्तीय वर्ष के अंत में)*		
	2022-23 (वास्तविक)	**2023-24** (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	**2024-25** (परिवर्तित बजट प्रावधान)
कुल लोक ऋण	**388383.89**	**443767.37**	**505115.10**
आंतरिक ऋण	350961.68	397720.10	450293.77
केन्द्रीय सरकार के उधार	37422.21	46047.27	54821.33
अन्य दायित्व	**117189.91**	**126878.43**	**135572.17**
भविष्य निधि और बीमा	64122.94	70899.01	78275.20
आरक्षित निधि और जमा	53066.97	55979.42	57296.97
कुल दायित्व/ऋण	**505573.80**	**570645.80**	**640687.27**

ख. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों का ब्यौरा

	2022-23	**2023-24**
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों की औसत रकम *(करोड़ रुपये में)*	9.68	32.53
भारतीय रिजर्व बैंक से SDL की औसत रकम *(करोड़ रुपये में)*	277.77	336.63
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम *(करोड़ रुपये में)*	-	-
ओवर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	-	-
ओवर ड्राफ्ट के अवसरों की संख्या	-	-

टिप्पणीः–*अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम की संगणना प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को सम्मिलित करते हुए) पर अर्थोपाय अग्रिमों की बकाया रकम को जोड़कर और माह अप्रेल से रिपोर्ट की कालावधि के दौरान के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है।*

प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का विवरण

प्ररूप प्र–8

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजित पेंशन दायित्व	अभ्युक्तियाँ (यदि कोई हों)
1.	2025-26	34146	जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।
2.	2026-27	40098	
3.	2027-28	39920	
4.	2028-29	40730	
5.	2029-30	40055	
6.	2030-31	39598	
7.	2031-32	39495	
8.	2032-33	39930	
9.	2033-34	38830	
10.	2034-35	38336	